

क्रमांक स.3(24)(3)स्था/मंत्रा/अभि/2023/ 2652-2661 दिनांक:- 20/03/2023

:- नियुक्ति आदेश :-

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस गृह (ग्रुप-1) विभाग के पत्र क्रमांक प.4(12)गृह-1/2022 दिनांक 17.03.2023 के द्वारा कॉन्स्टेबल भर्ती 2018 में एमबीसी बांसवाडा व दसवी बटालियन आरएसी, बीकानेर हेतु चयनित रिक्त कॉन्स्टेबलों के उधमपुर प्रशिक्षण संस्थान में प्रारम्भिक प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाये जाने पर सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड में कॉन्स्टेबल पद हेतु अनफिट पाये जाने पर राज्य सेवा से पृथक किये गये कार्मिको को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13173/2019 एवं 13461/2019 द्वारा श्री पीयूष पाटीदार व अन्य एवं श्री हमीरनाथ सिद्ध व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2021 के विरुद्ध डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 515/2021 एवं 718/2021 द्वारा राजस्थान राज्य व अन्य बनाम श्री पीयूष पाटीदार व अन्य एवं श्री हमीरनाथ सिद्ध व अन्य में पारित निर्णय क्रमशः दिनांक 04.01.2022 एवं दिनांक 12.01.2022 तथा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 18047/2019 दयालाल डामोर बनाम राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2021 की पालना में कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 में संशोधन के संबंध में कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक प.3(4) कार्मिक/क-2/2022 दिनांक 16.03.2023 के क्रम में कनिष्ठ सहायक हेतु निर्धारित नियमों में अंकित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तों के अधधीन नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु निम्नांकित कार्मिको को अभियोजन विभाग आवंटित कर कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन के आदेश जारी किये जाने की सहमति प्रदान करने के फलस्वरूप फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत निम्नलिखित **दसवी बटालियन आरएसी, बीकानेर** के 03 अभ्यर्थियों को अभियोजन विभाग में **NON TSP क्षेत्र** में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.06 एवं वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.2017 के अनुसार 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक रूपये 14600/-प्रतिमाह एवं परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप में पूर्ण करने के उपरान्त पे-मेट्रिक्स लेवल संख्या-5 पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से नियुक्ति की जाकर इनका पदस्थापन इनके नाम के सामने अंकित सहायक निदेशक अभियोजन के अधीन एतद्वारा किया जाता है :-

क्र.सं.	आरएसी के वरियता क्रमांक	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	मूल वर्ग	जन्म तिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन कार्यालय
1.	18	श्री हमीर नाथ सिद्ध	श्री रूपनाथ सिंह	OBC	11.02.1998	GEN	कार्यालय स.नि.अ. बाड़मेर
2.	35	श्री राकेश कुमार मीना	श्री जयनारायण मीना	ST	07.07.1992	ST	कार्यालय स.नि.अ. झालावाड़
3.	37	श्री विक्की कुमार	श्री श्यामलाल	SC	10.07.1990	SC	कार्यालय स.नि.अ. पाली

Signature valid

Digitally signed by Raj Sharma  
Designation: Director  
Date: 2023.03.20 17:02:55 IST  
Reason: Approved

1. अभ्यर्थियों को कार्य ग्रहण करने से पूर्व 50 रुपये सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/फर्जी पाये जाने पर नियुक्तकर्ता द्वारा इनकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणाधीन अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 12(6) एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.06, 6(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.06, 1(2) एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.06, 13(1)एफडी/रूल्स/03 दिनांक 13.03.06, एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 दिनांक 30.10.17 एवं संशोधित आदेश दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक रुपये 14600/- (Fixed Remuneration) प्रतिमाह के हकदार होंगे, इसके अतिरिक्त विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता एवं एडहोक बोनस इत्यादि देय नहीं होंगे।
3. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.06 एवं वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रंमांक प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.2017 के अनुसार 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) अवधि में सेवाये सन्तोषजनक पाये जाने की दशा में पे-मेट्रिक्स लेवल संख्या-5 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते स्वीकृत किये जावेंगे।
4. परिवीक्षा अवधि में राज्य बीमा अंशदान की कटौति नहीं की जावेगी। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही परीविक्षा अवधि में नियमानुसार कटौतियाँ की जा सकेंगी।
5. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में यदि वह असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुये निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवे कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेंगी।
6. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप से सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
7. परीविक्षा काल (Probation-Period) में इन्हे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
8. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीविक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीविक्षाकाल की समाप्ति पर सन्तोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीविक्षा काल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो उसमें असफल रहने पर उन्हे बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
9. परीविक्षा/प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रवर्तनीय आदेशानुरूप देय होंगे।
10. उक्त नियुक्तियों राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अनुक्रमिक शासित होंगी एवं इन पर समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
11. अभ्यर्थियों को परिवीक्षा अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से आनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा।
12. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उन्हे राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे, परन्तु पदस्थापन पर कार्य ग्रहण के समय पूर्व नियोजक द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं मृत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

Digitally signed by Raj Sharma  
Designation: Director  
Date: 2023.03.20 17:02:55 IST  
Reason: Approved

13. उक्त अभ्यर्थी की जन्म तिथि गृह (ग्रुप-1) विभाग से प्राप्त सूची के आधार पर अंकित की गई है।
14. अभ्यर्थियों की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
15. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

इनका पदस्थापन जिले में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा किया जाएगा।

(रवि शर्मा)  
निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर।

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. कमाण्डेंट, दसवी बटालियन आरएसी, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त वर्णित कार्मिकों के मूल दस्तावेज अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
4. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन, को भेजकर लेख है कि यदि आपके जिले में पदस्थापित उक्त अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण नहीं करता है तो निर्धारित समयावधि पश्चात उसे कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावे। तथा नियुक्ति आदेश में अंकित शर्तों की पूर्ण पालना होने के पश्चात कार्यग्रहण करवाया जाकर पालना सुनिश्चित करे। साथ ही अभ्यर्थी से शैक्षणिक एवं आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति कार्यग्रहण के समय प्राप्त करे।
5. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि आप नियुक्ति आदेश में अंकित शर्तों को पूर्ण करते हुये 15 दिवस की नियत अवधि में आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर लेवे।
6. निजी पत्रावली/विधि शाखा/गोपनीय शाखा, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन,  
राजस्थान जयपुर

**Signature valid**

Digitally signed by Rav Sharma  
Designation: Director  
Date: 2023.03.20 17:02:55 IST  
Reason: Approved